संख्या-2/सी.एम.टी.-96/2011- 3022

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 26/7/2012

विषय : दिनांक 31.07.2012 से पुराने निबंधित मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट (HSRP) लगाने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 एवं WP(C) 510/2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सभी मोटर वाहनों पर अनिवार्यरूपेण उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने हेतु विभाग द्वारा चयनित कम्पनी **'उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा. लि. (लिंकप्वाईंट इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि. के साथ संयुक्त उपक्रम), नई दिल्ली'** के साथ दिनांक 31.05.2012 को एकरारनामा किया गया है ।

2. उक्त कंपनी द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 10.06.2012 से राज्य के कुल 11 जिलों एवं दिनांक 20.06.2012 से कुल 27 जिलों में Affixation Stations स्थापित कर नये निबंधित वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

3. एकरारनामा की कंडिका-1.1 के अनुसार पुराने वाहनों पर दिनांक 31.07.2012 से उच्च सुरक्षायुक्त निबंध प्लेट लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाना है एवं दिनांक 15.06.2012 से दो वर्षो के अंदर यह कार्य पूर्ण किया जाना है ।

4. पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने का कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु निम्न निदेश दिये जाते है :-

(i) सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने-अपने जिलान्तर्गत पूर्व निबंधित वाहनों की संख्या के अनुपात में चरणबद्ध तरीके से Affixing का कार्य सम्पन्न कराने हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे तथा एतद विषयक निदेश संबंधित वेंडर को देते हुए विभाग को भी सूचित करना सुनिश्चित करेंगें । इस कार्य हेतु प्रथम चरण के जिलों में 10. 06.2012 से पूर्व एवं द्वितीय चरण के जिलों में 20.06.2012 से पूर्व अर्थात नये वाहनों के HSRP लगाने से पूर्व वर्तमान कैलेन्डर वर्ष 2012 में (उदाहरण स्वरूप

E:Ra Su doc-71 8

दिनांक 01.01.2012 से 09.06.2012 तक अथवा 19.06.2012 तक निबंधित वाहन को) प्राथमिकता दी जाय ।

(ii) तदोपरांत कैलेन्डर वर्ष 2011, 2010, 2009 एवं इसी प्रकार पूर्व के वर्षो में निबंधित वाहनों के लिए कार्य योजना तैयार की जा सकती है । निबंधित वाहनों की संख्या के आलोक में यह कार्ययोजना 1.1/2 वर्ष (18 माह) के लिए बनाई जाय।

(iii) जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा राजधानी से संबंधित जिला होने के कारण प्रथम चरण में राजभवन, माननीय उच्च नयायालय, विधान मंडल, मुख्य मंत्री सचिवालय, माननीय लोकायुक्त सहित माननीय मंत्रियों के वाहन तथा सचिवालय के वरीय पदाधिकारी के वाहन में उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने का कार्यक्रम प्राथमिकता के तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए निर्धरित किया जायेगा ।

(iv) तत्पश्चात उपयुक्त कंडिका (ii) के अनुसार कैलेन्डर वर्षवार सरकारी एवं निजी वाहनों में उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने की कार्य योजना निर्धारित करेंगे। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी निजी वाहन सहित मुख्य रूप से व्यवसायिक वाहनों के मामले में अद्यतन टैक्स भुगतान होने पर ही उक्त वाहन में निबंधन प्लेट लगाने हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगें ।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित वाहन स्वामियों के लिए निर्धारित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी करेंगे । आवश्यकतानुसार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी वाहन स्वामियों को अनिवार्यत: उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने हेतु संसूचित किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन,

/

[signature] 26/7/12

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

E-Raj Sir doc-719